

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 171/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बासुदेव महतो ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

श्रीकान्त वर्मा उर्फ घनश्याम वर्मा वगै0 -----द्वितीय पक्ष

आदेश

20-1-25

थाना प्रभारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 12.12.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा: झांझ, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह,
खाता नं0- 17, प्लॉट नं0- 847/1, रकबा- 17 डी0,
चौहद्दी : -
उ0- बैजू राय,
द0- पत्थर पहाड़,
पू0- बैजू राय,
प0- सड़क

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना लिखित अभिकथन एवं दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किए।

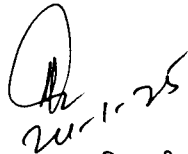
प्रथम पक्ष अपने आवेदन में कहते हैं कि उनके पूर्वज को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के पर्चा 45442 दिनांक 15.06.1965 द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि हासिल है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-II के भाग सं0- 03, पृष्ठ सं0- 116 पर कायम है तथा सन् 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। विपक्षीगण के द्वारा उनके कब्जे वाली उक्त विवादग्रस्त भूमि पर बाजबरण मकान निर्माण आरंभ करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा प्रदत्त पर्चे की

छायाप्रति, भूमि वितरण मौजावार सूची की छायाप्रति, दो लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

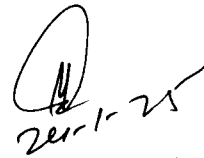
वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का लिखित अभिकथन दाखिल कर कहना है कि उन्हें उक्त विवादग्रस्त भूमि निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में जमीन पर बने निर्मित / अर्धनिर्मित मकान का फोटोग्राफ्स, दो केवाला की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, एक हुकुमनामा की छायाप्रति, एक ऑफलाइन पंजी-II की छायाप्रति, कुछ अन्य लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग-अलग स्वत्व (Title) संबंधी कागजात के आधार पर विवादग्रस्त भूमि पर अपना दावा करते हैं। प्रस्तुत वाद में विवाद का मुख्य वजह स्वत्व (Title) का विवाद होना है। प्रथम पक्ष भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत पर्चे के आधार पर तथा द्वितीय पक्ष निबंधित केवाला के आधार पर विवादित भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत स्वत्व (Title) विचारण नहीं हो सकता है और ना ही स्वत्व (Title) विचारण हेतु अधोहस्ताक्षरी सक्षम न्यायालय है। अतः प्रस्तुत वाद में किसी तरह का अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर विवाद का निपटारा कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया